फिल्म पर्यटन नीति – 2025

की कण्डिका 6 अंतर्गत गठित

फिल्म फैसिलिटेशन समिति

की बैठक दिनांक 23/04/2025 द्वारा

अनुमोदित

The heart of
Incredible India

मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति – 2025 के अनुसार फिल्म शूटिंग अनुमति एवं अनुदान सम्बन्धी नियम एवं दिशा निर्देश पुस्तिका

अध्यक्ष फिल्म फेसेलिटेशन सेल मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा अनुमोदित
मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	पृष्ठ क्र.
1	शूटिंग अनुमति हेतु प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश	
2	फीचर फिल्म, वेबसीरीज, डॉक्यूमेंट्री अनुदान हेतु समान्य प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश	
3	मध्यप्रदेश की स्थानीय भाषाओं/बोलियों यथा बुंदेलखण्डी/ मालवी/ बघेलखण्डी/ निमाड़ी एवं जनजातीय भाषाओं यथा भीली, गोंडी, कोरकू आदि में निर्मित फीचर फिल्मों के लिए विशेष अनुदान हेतु मापदण्ड।	
4	बाल फीचर फिल्मों के लिए विशेष अनुदान हेतु मापदण्ड।	
5	महिला सशक्तीकरण से संबंधित व महिला केन्द्रित सकारात्मक सामाजिक फीचर फिल्मों के अनुदान हेतु मापदण्ड।	
6	मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व की प्रसिद्ध हस्तियों पर आधारित फिल्मों के अनुदान हेतु मापदण्ड।	
7	क्षेत्रीय भाषाओं (तमिल, तेलगू, कन्नड़ एवं मलयालम, बंगला, मराठी) फिल्मों के लिए अतिरिक्त अनुदान हेतु नियम।	
8	मध्यप्रदेश के स्थानीय कलाकारों (कहानी के अनुसार प्रमुखता से प्रदर्शित होने वाले कैरेक्टर)/ डायरेक्टर / कोरियोग्राफर / सिनेमेटोग्राफर / आर्ट डॉयरेक्टर / कॉस्ट्यूम डिजायनर/ साउंड डिजायनर / म्यूजिशियन आदि मानव संसाधन को विशेष अनुदान हेतु मापदण्ड	
9	मध्य प्रदेश को प्रमुखता फिल्मांकित करने वाली फीचर फिल्मों के अनुदान हेतु मापदण्ड	
10	OTT पर प्रदर्शित होने वाली वेब सीरीज/ओरिजनल शो एवं फिल्मों के अनुदान मापदण्ड	
11	प्रदेश में शासकीय स्थलों पर अनुमति शुल्क के अनुदान हेतु मापदण्ड	
12	मध्य प्रदेश में शॉर्ट फिल्मों के लिए अनुदान मापदण्ड	
13	डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के लिए अनुदान मापदण्ड	
14	अंतराष्ट्रीय फिल्म/टी वी शो के लिए अनुदान मापदण्ड	
15	एकल सिनेमाघरों के अनुदान मापदण्ड	
16	फिल्म अधोसंरचना निर्माण के लिए अनुदान मापदण्ड	

शूटिंग अनुमति हेतु प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश-

1. प्रदेश में सभी प्रकार की शूटिंग अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदक को सिंगल विंडो वेब पोर्टल https://filmcell.mponline.gov.in/ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
2. पोर्टल पर उपलब्ध कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (**Annexure 2**) में आवेदन करना अनिवार्य होगा|
3. शूटिंग हेतु कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में उल्लेखित समस्त जानकारी आवेदक द्वारा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
4. ऑनलाईन सिंगल विण्डों सिस्टम के तहत आवेदक को अपनी चयनित फिल्म लोकेशन/शूटिंग तिथि/शूटिंग अवधि की जानकारी के साथ आवश्यक पोर्टल शुल्क जमा कराना होगा।
5. जिस जिले में शूटिंग अनुमति प्राप्त की जाना है, वहाँ के नोडल अधिकारी/कलेक्टर को अवगत कराना अनिवार्य होगा।
6. शूटिंग हेतु आवेदनकर्ता प्रोडक्शन हाउस को फिल्म परियोजना का ऑफिसियल पोस्टर, बिहाइंड द सीन एवं लोकेशन की उच्च रिज़ॉल्यूशन पिक्चर्स आदि फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ को उपलब्ध करानी होगी, जिसका उपयोग फिल्म रिलीज होने के बाद प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से किया जा सकेगा।
7. प्रत्येक प्रोडक्शन कंपनी जो फिल्म पर्यटन नीति के तहत शूटिंग अनुमति प्राप्त करती है उन्हें फिल्म परियोजना के प्रस्तुतिकरण के समय पर्यटन विभाग का Credit Logo अनिवार्यत: प्रदर्शित करना होगा।
8. MP Film, App पर Registration में जाकर मध्य प्रदेश में किए गए प्रत्येक शूटिंग दिवस का शूटिंग स्थल से प्रतिदिन का Geo Tag Photo Upload किया जाना होगा।
9. समस्त प्रकार की शूटिंग अनुमति पोर्टल के माध्यम से ही प्राप्त होगी।

अनुदान हेतु सामान्य प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश

1. फिल्म पयर्टन नीति-2025 के अंतर्गत अनुदान आवेदन हेतु उन्हीं फीचर फिल्म/वेब सीरिज/ओरिजनल शो/टी.वी. सीरियल/डाक्यूमेंट्री आदि प्रोजेक्ट को पात्रता होगी, जो दिनांक 18/02/2025 या उसके बाद रिलीज/जारी हुये हो।
2. मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 के प्रावधानों एवं नियम निर्देशों के तहत दिनांक 18/02/2025 के पूर्व प्रचलित/रिलीज होने वाली फिल्म परियोजनाएं दिनांक 17/08/2025 तक ही अनुदान आवेदन कर सकेंगी।
3. अनुदान हेतु आवेदित प्रोजेक्ट के फिल्म प्रोडयूसर (प्रोप्रायटरी/ फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/ प्रा.लि.कम्पनी/ट्रस्ट/संस्था) आवेदन कर सकेगा।
4. यदि कोई अन्य व्यक्ति/संगठन जो निर्माता/प्रोडक्शन हाउस के अलावा अनुदान हेतु आवेदन कर रहा है, ऐसी स्थिति में आवेदन के साथ पावर ऑफ अटर्नी देना अनिवार्य होगा जो कि उक्त प्रोजेक्ट के लिए अनुदान आवेदन हेतु संबंधित आवेदक/संस्था अधिकृत है।
5. अनुदान संबंधी पूर्ण आवेदन **Annexure 4** (Subsidy Application Form) अनुसार प्रस्तुत करना होगा। समस्त दस्तावेज निर्धारित प्रारूप अनुसार ही आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाएँ|
6. आवेदन करने के प्रथम क्रम में परियोजना/प्रोजेक्ट की आधारभूत जानकारी के साथ प्रस्तावित शूटिंग स्थलों, शूटिंग दिवस, व्यय, कलाकारों की जानकारी आदि (**Annexure 1** अनुसार) उपलब्ध करानी होंगी। जिसके प्राप्त होने पर अभिस्वीकृति पत्र (**Annexure 3** अनुसार) प्रदान किया जा सकेगा।
7. फीचर फिल्म/वेब सीरिज/ओरिजनल शो/टी.व्ही. सीरियल/डाक्यूमेंट्री आदि प्रोजेक्ट रिलीज होने के 06 माह (180 दिवस) के भीतर अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिसमें अधिकतम 03 माह तक की वृद्धि आवेदक द्वारा सकारण आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर अध्यक्ष, FFC के निर्णय हेतु विचाराधीन होगी।
8. सभी प्रकार की फीचर फिल्म (थियेटर रिलीज/ OTT रिलीज) हेतु सेंसर बोर्ड (CBFC) द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा (अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों को छोड़कर)।
9. प्रत्येक अनुदान आवेदन के साथ प्रोसेसिंग फीस रूपये 15,000/- + 2,700/- (GST@ 18%) = रूपये 17,700 /- अहस्तांतरणीय ड्राफ्ट/ऑनलाईन भुगतान मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड भोपाल के नाम करना होगा।

10. यदि **Annexure 4** के अनुसार कोई भी दस्तावेज आवेदक द्वारा प्रदान नही किया जाता है, तो त्रुटि पूर्ति हेतु आवेदक को सूचित किया जायेगा, जो कि मेल प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों भीतर जमा कराना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक अनुरोध करता है, तो पूर्ति हेतु 15 दिवस तक की अतिरिक्त समयावधि दी जा सकेगी।
11. निर्धारित समय पर जानकारी प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदन FFC द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा।
12. प्रदेश में शूटिंग दिवस के प्रतिशत का प्रमाणीकरण फिल्म के कुल शूटिंग दिनों में से द्वारा सत्यापित कर निर्धारित प्रारूप में **Annexure 5** के अनुसार प्रस्तुत करना होगा ।
13. अनुदान आवेदन में सम्पूर्ण परियोजना, व्यय लेखा आदि की जानकारी संलग्न निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवश्यकता होने पर एफएफसी की वित्त समिति द्वारा पूर्व सूचना पश्चात मूल दस्तावेज परीक्षण हेतु बुलाये जा सकेगें ।
14. अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माता होने की स्थिति में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय / विदेश मंत्रालय / गृहमंत्रालय भारत सरकार से विधिवत अनुमति/अनुमोदन प्राप्त किया गया हो|
15. प्रदेश में फिल्म से संबंधित आधारभूत संरचना बनाने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन संबंधी प्रावधानों के आवेदनों के लिए प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश मध्य प्रदेश पर्यटन नीति-2025 में उल्लेखित विवरण अनुसार रहेगें।
16. एकल स्क्रीन सिनेमा हॉल के निर्माण एवं पुर्नउद्धार हेतु अनुदान आवेदनों के 'सिनेमा हॉल के अनुदान प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रक्रिया, नियम एवं निर्देशों का प्रारूप अनुसार प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
17. आवेदक द्वारा समस्त आवश्यक दस्तावेजों, जानकारी के साथ आवेदन प्रस्तुत किये जाने की तिथि से आगामी 45 कार्य दिवस की अधिकतम समय सीमा में अनुदान आवेदन का निराकरण किया जावेगा।
18. TV धारावाहिक/शो के अनुदान हेतु कम से कम 90 दिवस की शूटिंग के साथ कम से कम 13 एपिसोड के रिलीज होने के पश्चात् ही पात्र होंगे।
19. एक TV धारावाहिक/शो अपने सभी संस्करणों/सीजन में एक ही बार अनुदान हेतु पात्र होगा।
20. प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड एवं अध्यक्ष एफएफसी द्वारा आवेदन निराकरण से संबंधित किसी भी शिकायत के मामले में पर्यटन विभाग, म. प्र. शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

21. मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति के तहत किसी भी प्रोत्साहन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, प्रोडक्शन हाउस को मध्य प्रदेश पर्यटन के आकर्षणों को प्रदर्शित करते हुए मुख्य पात्रों की एक प्रचार रील प्रस्तुत करनी होगी। यह रील दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन के साथ शामिल हो, सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

22. प्रोडक्शन हाउस को परियोजना का ऑफिसियल पोस्टर, बिहाइंड द सीन एवं लोकेशन की उच्च रिज़ॉल्यूशन चित्र प्रस्तुत करनी होंगी, जिसका उपयोग फिल्म सेल, एमपीटीबी द्वारा प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से, परियोजना के जारी होने के बाद ही किया जा सकेगा ।

------------x------------

<u>मध्यप्रदेश की स्थानीय भाषाओँ/बोलियों यथा बुंदेलखण्डी/मालवी/बघेलखण्डी/ निमाड़ी एवं जनजातीय भाषाओँ यथा भीली, गोंडी, कोरकू आदि में निर्मित फीचर फिल्मों को विशेष अनुदान हेतु मापदण्ड।</u>

1. फीचर फिल्म का विषय और उसकी सामग्री स्थानीय संस्कृति, परंपरा, रीति-रिवाजों, और भाषा की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती हो।
2. फिल्म में मुख्य रूप से मध्यप्रदेश की स्थानीय भाषाओं/बोलियों का वास्तविक रूप से प्रयोग किया गया हो।
3. संवाद, गीत, और पटकथा में आवेदित भाषा का मुख्य रूप से एवं प्रामाणिक उपयोग किया गया हो।
4. यथा सम्भव फिल्म के शूटिंग स्थलों का चयन आवेदित भाषा की स्थानीयता और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता हुआ हो।
5. फिल्मांकन में भाषा क्षेत्र की गरिमा एवं प्रचलित सांस्कृतिक भाषाओं को सकारात्मक रूप से परिभाषित किया गया हो।
6. स्थानीय भाषाओँ/बोलियों, जनजातीय भाषाओँ में निर्मित फीचर फिल्मों को विशेष अनुदान हेतु न्यूनतम 50 स्क्रीन पर रिलीज किया जाना अनिवार्य होगा (थियेटर रिलीज होने पर)।

------------x------------

बाल विषयों पर आधारित बाल फीचर फिल्मों को विशेष अनुदान हेतु मापदण्ड।

बाल फिल्मों से आशय न्यूनतम 90 मिनिट की फीचर फिल्म जो कि बच्चों (आयु 13 वर्ष तक) के लिए बनाई गई हो, जिससे उम्र उपयुक्त कहानी, पात्र और थीम हो तथा फिल्म का उद्देश्य स्वस्थ मनोरंजन एवं शिक्षित करना हो। इस प्रकार की फिल्म में किसी भी प्रचलित बाल अधिकार कानूनों एवं दिशा निर्देशों में उल्लंघन नहीं किया गया हो तथा सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त की गई हों।

1. फिल्म का विषय सकारात्मक और प्रेरणादायक हो, जिसमें बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए उपयुक्त संदेश हो।
2. फिल्म में बच्चों को जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों जैसे- ईमानदारी, दोस्ती, सहानुभूति, नैतिकता, मेहनत, राष्ट्रीयता, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और समानता के बारे में सिखाने का प्रयास किया गया हो।
3. फिल्म में मुख्य पात्र बच्चों को ही रखा गया हो।

------------x------------

महिला सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों पर निर्मित महिला केन्द्रित सकारात्मक सामाजिक फीचर फिल्मों हेतु मापदण्ड।

महिला सशक्तिकरण संबंधित मुद्दों पर आधारित फीचर फिल्मों से आशय ऐसी फीचर फिल्म जिसमें-

1. फिल्म का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण यथा लैंगिक समानता, आर्थिक स्वालंबन आदि पर आधारित होना चाहिए।
2. फिल्म में यथा सम्भव महिला अधिकारों, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लैंगिक समानता और आदि के मुद्दों को शामिल किया गया हो।
3. फिल्म का उद्देश्य न केवल समस्या को उजागर करना हो, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा भी दिखाना हो।
4. महिला विषयों पर आधारित फिल्मों में प्रदर्शित होने वाली सामग्री में किसी भी प्रकार संवाद/चित्रण अश्लील नहीं होना चाहिए।

5. फीचर फिल्म की कहानी में महिला पात्रों का सशक्त प्रस्तुतिकरण किया गया हो।
6. फिल्मांकन में प्रदेश/देश की किसी भी सांस्कृतिक एवं धार्मिक मान्यताओ की नकारात्मक छबि प्रदर्शित न की गई हो।
7. फिल्म क्रेडिट लिस्ट में महिला कलाकारों के नाम प्रथमत: प्रदर्शित होना चाहिए।
8. प्रचार-प्रसार में महिला पात्रों को प्रमुखत: से प्रचारित किया गया हो।

------------x------------

<u>महिला फिल्मकारों की प्रधानता वाली फिल्मों के लिए अतिरिक्त अनुदान</u>

इस विशेष अनुदान प्रावधान का उद्देश्य सिनेमा के पर्दे पर तथा पर्दे के पीछे निर्माण दल में महिलाओं की सार्थक भागीदारी को बढ़ाना एवं प्रोत्साहित करना।

इस प्रावधान के अंतर्गत अनुदान प्राप्ति हेतु निम्न नियम लागू होंगे:

(1) फीचर फिल्म के निर्माण में प्रमुख प्रभागों की न्यूनतम 50% मुख्य रचनात्मक भूमिकाएं (Director, Producer, Cinematographer, Editor, Music Director, Writer) महिलाओं द्वारा संपादित की गई हो।

------------x------------

मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व की प्रसिद्ध हस्तियों पर आधारित फिल्मों हेतु मापदण्ड।

1. फिल्म का विषय मध्य प्रदेश की किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या धार्मिक हस्ती पर आधारित होना चाहिए, जो राज्य के इतिहास या संस्कृति से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हो।
2. हस्ती का योगदान राज्य या राष्ट्र के इतिहास, धर्म, साहित्य, कला, संस्कृति, धार्मिक शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीति में महत्वपूर्ण एवं निर्विवादित रहा हो।
3. फिल्म में ऐतिहासिक घटनाओं या सांस्कृतिक पहलुओं को सटीक और उचित तरीके से दर्शाया जाए तथा फिल्म में किसी भी प्रकार की ऐतिहासिक विकृति से बचा जाए।
4. अगर फिल्म किसी धार्मिक हस्ती पर आधारित है, तो उसका संदर्भ और चित्रण, संबंधित धार्मिक भावनाओं का सर्वोच्च सम्मान करते हुए किया गया हो।
5. प्रदेश की किसी ऐतिहासिक/सांस्कृतिक मान्यता / परम्परा आदि का किसी भी प्रकार का नकारात्मक चित्रण नहीं किया गया हो।

------------x------------

क्षेत्रीय भाषाओं (तमिल, तेलगू, कन्नड़ एवं मलयालम, बंगला, मराठी) फिल्मों के लिए अतिरिक्त अनुदान हेतु नियम।

1. केवल निर्दिष्ट (**तमिल, तेलगू, कन्नड़ एवं मलयालम, बंगला, मराठी भाषा**) फीचर फिल्में ही इस श्रेणी के अंतर्गत अनुदान के लिए पात्र होंगी।
2. अतिरिक्त 10% वित्तीय अनुदान की गणना अनुदान हेतु मान्य राशि पर की जाएगी|
3. फीचर फिल्म के अनुदान संबंधी समस्त दिशा-निर्देश/प्रक्रिया का पालन करने के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं फिल्म का न्यूनतम 100 स्क्रीन पर रिलीज आवश्यक होगा।
4. प्रदेश/देश की किसी भी संस्कृति/सम्प्रदाय/धर्म/व्यक्ति के विरूद्ध आपत्तिजनक प्रस्तुतिकरण न किया गया हो।
5. प्रदेश की लोकेशन, संस्कृति, विरासत, उत्सव आदि को कहानी की स्क्रिप्ट में शामिल कर उनके मूल नाम/पहचान के साथ दर्शाया जाये।

-----------x-----------

मध्यप्रदेश के स्थानीय कलाकारों (कहानी के अनुसार प्रमुखता से प्रदर्शित होने वाले कैरेक्टर) / डायरेक्टर / कोरियोग्राफर / सिनेमेटोग्राफर/ आर्ट डॉयरेक्टर / कॉस्ट्यूम डिजायनर / साउंड डिजायनर / म्यूजिशियन आदि मानव संसाधन को विशेष अनुदान हेतु मापदण्ड।

1. मध्य प्रदेश के मानव संसाधन से आशय मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी से है, जो कि अनुदान हेतु प्रस्तुत प्रोजेक्ट में प्रतिभागी रहे हों|
2. इस कंडिका के अंतर्गत अनुदान पात्रता केवल मध्यप्रदेश राज्य से लिए गए मानव संसाधन के लिए होगी।
3. आवेदक को मानव संसाधन के साथ किये गये हस्ताक्षरित अनुबंध की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
4. आवेदक को मानव संसाधन के मध्यप्रदेश निवासी होने के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे – यथा आधार कार्ड / पेन कार्ड आदि।
5. प्रदेश के कलाकारों/मानव संसाधन के लिए अनुदान आवेदन दावा प्रस्तुत करने से पूर्व आवेदक (प्रोड्यूसर/प्रोडक्शन हाउस) को यह प्रमाण/दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा संबंधित कलाकार को भुगतान कर दिया गया है। आवेदक द्वारा मानव संसाधन/कलाकार को सीधे भुगतान किया जाकर उसकी रसीद/प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
6. यदि प्राथमिक एवं द्वितीय स्तर के कलाकारों हेतु आवेदन है तो इस स्थिति में कुल 05 कलाकारों की फिल्म में प्रतिभागिता होना अनिवार्य होगा जिसे अनुदान हेतु कलाकारों का स्क्रीन टाइम एवं डायलॉग की जानकारी आवेदन के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
7. फिल्म क्रेडिट में अनुदान हेतु आवेदित मानव संसाधन/कलाकारों का नाम अनिवार्यत: प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

------------x------------

OTT पर प्रदर्शित होने वाली वेब सीरिज/ ओरिजिनल शो एवं फिल्मों के अनुदान हेतु नियम।

1. वेब सीरिज में न्यूनतम 20 मिनिट के कम से कम 5 एपीसोड हो अथवा कुल अवधि न्यूनतम 120 मिनिट हो|
2. वेब सीरीज के लिए किसी भी OTT प्लेटफार्म द्वारा इसकी Maturity rating (''केवल व्यस्को के लिए") नहीं होना चाहिए।
3. सभी OTT फिल्मों के लिए CBFC सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा।
4. वेब सीरिज की स्टोरी/फिल्मांकन में प्रदेश के क्षेत्रों, संस्कृति, कला की नकरात्मकता छवि प्रदर्शित न की गई हो।
5. वेब सीरिज में प्रदर्शित होने वाली सामग्री में किसी भी तरह (संवाद/चित्रण) अश्लील न हो।
6. वेब सीरिज एवं फीचर फिल्म निम्न किसी भी OTT पर रिलीज की गई हो :-
   - Netflix
   - JioHotstar
   - Zee 5
   - Sony Liv
   - Amazon prime/Prime Videos

   (नोट - उक्त सूची को एफएफसी द्वारा समय-समय पर अपडेट किया जा सकेगा।)
7. MP Tourism का Credit Logo NON-skippable Format में प्रत्येक एपीसोड की समाप्ति पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है।
8. मध्य प्रदेश में जिन स्थानों पर वेबसीरीज/वेब फिल्म की शूटिंग की गई है उनका उल्लेख क्रेडिट लिस्ट में किया जाना अनिवार्य है।
9. परियोजना को कम से कम भारत में रिलीज किया गया हो।
10. एक ही परियोजना के प्रत्येक सीजन या श्रृंखला को अलग परियोजना के रूप में गिना जाएगा।
11. आवेदक को एफएफसी अथवा एफएफसी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को अनुदान सम्बन्धी निर्णय लेने से पूर्व वेब सीरीज दिखाना आवश्यक होगा जिसकी पूर्व सूचना एफएफसी द्वारा आवेदक को दी जावेगी |
12. OTT प्लेटफार्म पर रिलीज़ होने सम्बन्धी भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं नियमों को उनके जारी होने के दिनांक से म.प्र. फिल्म पर्यटन नीति 2025 के वेब सीरीज से सम्बंधित प्रावधानों, नियमों तथा दिशा निर्देशों पर भी लागू माना जायेगा|

------------x------------

प्रदेश में शासकीय स्थलों पर अनुमति शुल्क के अनुदान हेतु नियम।

1. प्रदेश में शासकीय शूटिंग लोकेशन पर व्यय की गई राशि के प्रतिपूर्ति हेतु समस्त अनुमति आदेश एवं प्रदाय किये गये शुल्क की मूल प्रति अनुदान आवेदन के साथ निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगी।
2. जिस स्थल पर शूटिंग अनुमति शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसे रिलीज़ किये गए प्रोजेक्ट (फीचर फिल्म/वेब सीरिज/ओरिजनल शो/टी.व्ही. सीरियल/शो / डाक्यूमेंट्री/शॉर्ट फिल्म) में अनिवार्यतः शामिल किया गया हो।
3. संबंधित शासकीय विभाग से No Dues Certificate प्राप्त किया गया हो अथवा Deposit Money वापस प्राप्त कर ली गई हो।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त सामान्य प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है।
5. अनुदान हेतु आवश्यक जानकारी पत्रक- (Annexure-A) अनुसार प्रदान करना होगी।

------------x------------

<u>डाक्यूमेंट्री हेतु अनुदान नियम।</u>

1. डोक्युमेंट्री निम्नलिखित में से किसी चेनल/OTT पर रिलीज़ की गई हो :-
   - a) Discovery
   - b) Epic TV
   - c) History Channel
   - d) Sony BBC Earth l
   - e) National Geographic
   - f) DD National
   - g) Travel XP,
   - h) Fox LIFE,
   - i) NDTV Good Times,
   - j) Animal Planet
   - k) FOOD FOOD
   - l) Living Foodz,
   - m) TLC
   - n) Netflix
   - o) Amazon Prime Videos
   - p) JioHotstar
   - q) Zee 5
   - r) Sony Liv
   - s) HBO Max
   - t) BBC iPlayer
   - u) BBC's Britbox
   - v) Apple TV
   - w) Paramount+
   - x) Pluto TV
   - y) Waves

(नोट: उक्त सूची को एफएफसी द्वारा समय-समय पर संसोधन किया जा सकेगा।)

1. डाक्यूमेंट्री की न्यूनतम समय अवधि 20 मिनट की होनी चाहिये।
2. प्रदेश की छवि को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया हो।
3. प्रदेश में यथा संभव परम्परागत उत्सवों, कला, संस्कृति को शामिल किया गया हो।
4. फिल्म में प्रदेश के स्थलों को उसके वास्तविक नाम के साथ प्रस्तुत किया गया हो
5. प्रदेश में ऐतिहासिक, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, पर्यटन महत्व के स्थानों पर गरिमामयी छायांकन किया गया हो।
6. आवेदक द्वारा डाक्यूमेंट्री के राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय रिलीज़ का डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होगा|
7. आवेदक द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त/अनुमोदित **(सूची 'अ' अनुसार)** किसी भी राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरुस्कृत होने का प्रमाण डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होगा|
8. मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2025 की कंडिका 26.3 अनुसार मध्य प्रदेश की अनुदान प्राप्त डॉक्यूमेंट्री/शॉर्ट फिल्म के गैर व्यवसायिक प्रदर्शन सम्बन्धी अधिकार अनिवार्यत: राज्य शासन/पर्यटन विभाग को देना होंगे।
9. अनुदान आवेदन के साथ फिल्म का विवरण, निर्माण टीम, फिल्मांकन स्थान, और फेस्टिवल पुरस्कारों की जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त सामान्य प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

------------x------------

<u>मध्य प्रदेश में शॉर्ट फिल्मों के लिए अनुदान के नियम।</u>

शॉर्ट फिल्म से आशय एक सिनेमेटोग्राफिक फिल्म से है, जो कि केन्द्रीय सेंसर बोर्ड से श्रेणीकृत अथवा प्रमाणीकृत हो, तथा जिसकी अवधि सभी क्रेडिट सहित न्यूनतम 08 मिनिट तथा अधिकतम 40 मिनिट तक हो।

1. फिल्म की विषय वस्तु मुख्यत: मध्य प्रदेश से संबंधित होना चाहिए। यथा- पर्यटन स्थल, वाइल्ड लाइफ, संस्कृति, खान-पान, हस्तशिल्प, धार्मिक पर्व और उत्सव, रहन-सहन/टेक्सटाइल, प्रदेश के लोग और विशिष्ट व्यक्ति, प्रदेश से जुड़ी विरासत और इतिहास आदि।
2. फिल्म का न्यूनतम 75% दिवस फिल्मांकन मध्य प्रदेश में होना चाहिये।
3. आवेदक द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त/अनुमोदित किसी भी राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरुस्कृत होने का प्रमाण डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होगा **(सूची 'अ' अनुसार)।**
4. अनुदान आवेदन के साथ फिल्म का विवरण, निर्माण टीम, फिल्मांकन स्थान, और फेस्टिवल पुरस्कारों की जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए।
5. शॉर्ट फिल्म में किसी भी जाति / धर्म / सम्प्रदाय / सांस्कृतिक मान्यता देश / राज्य की नकारात्मक छबि / विवादित तथ्य प्रस्तुत न किए गए हों।
6. शॉर्ट फिल्म में 4K or HD (1920x1080) फार्मेट में होना चाहिए।
7. शॉर्ट फिल्म में शामिल किए गए सभी वीडियो, म्यूजिक, इमेज, आर्काइव फुटेज आदि के लिए अधिकारिक अनुमति प्राप्त की गई हो।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त सामान्य प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देशों का पालन किया गया हो ।

नोट: उक्त समस्त नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त आवेदक द्वारा म. प्र. फिल्म पर्यटन नीति 2025 के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा एवं उक्त नियमों में कोई भी बदलाव FFC के अधीन होगा।

------------x------------

<u>अंतर्राष्ट्रीय फिल्म</u>

अंतर्राष्ट्रीय फिल्म / वेबसीरीज / ओरीजनल शो / डॉक्युमेंट्री फिल्म के लिए उन्हीं परियोजनाओं को अनुदान की पात्रता होगी जो कि भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त हो।

1. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की गाइड लाइन अनुसार सभी नियमों / निर्देशों की पूर्ति पूर्ण की गई हो।
2. परियोजना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज की गई हो।
3. न्यूनतम 50 अंतर्राष्ट्रीय स्क्रीन में रिलीज की गई हो, अथवा FFC द्वारा सूचीबद्ध OTT चैनल अथवा अंतर्राष्ट्रीय OTT चैनल पर रिलीज की गई हो।

------------x------------

सूची 'अ'

<u>पुरस्कार प्राप्त डॉक्युमेंट्री एवं शॉर्ट फिल्मों के लिए अनुदान हेतु मान्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की सूची</u>

- IFFI, GOA
- MIFF, Mumbai Film Division
- IDSFK, Kerala IFFK
- Kolkata International Film Festival
- Dharmshala International Film Festival
- SIGNS Film Festival, Kerala
- National, Film Awards
- GIFF, Mumbai (Global Indian Film Festival)
- PIFF, Pune International Film Festival
- International Film Festival of Rotterdam
- Venice Film Festival
- Oscar, Film Festival
- Berlin Film Festival
- Cannes Film Festival
- Busan International Film Festival
- Sundance Film Festival
- Toronto International Film Festival (TIFF)
- IDFA, International Documentary Film Festival, Amsterdam
- Hot doc's

(नोट: इस लिस्ट में समय-समय पर परिवर्तन FFC के द्वारा किया जा सकेगा, जिसकी सूचना Portal के माध्यम से दी जावेगी।)

------------x------------

Annexure 1

Project Specific Details

Particulars	Details
Type of Project	
Language	
Genre	
Duration of Project (length of film/video)	
Title of Project	
Producer name	
Production house	
Total Shooting days of Project	
Shooting days in M.P.	
Shooting dates in M.P.	
Approximate budget of project	
Approximate Expenditure in M.P. during shooting	
Estimated M.P. based manpower utilisation	
Proposed Shooting location in MP	
MP Line Producer name & Contact details	
Contact details of Producer/ EP Name	Designation:
	Address:
	Email id:
	Mobile no:
Director & Main Cast names	
Synopsis (max 100 words) Separately attached	
*Note : Undertaking on stamp paper of Rs.100/- duly Notarized by the Notary	

I/we...of M/s ……………….hereby undertake that all the facts and details/documents mentioned in the application are true to the best of my knowledge and belief.

(Sign)
Name
Address

Annexure - 2

Common Application Form
For seeking Permission to shoot in the Madhya Pradesh

Part A		
1	Name of the Applicant (in capital letters)	
	Designation of the Applicant (in capital letters)	
2	Name of Production House (in capital letters)	
3	Address: Contact: E-mail ID of the applicant:	
4	a) Production House Constitution: Proprietorship, Partnership, Company b) Details of Constitution/ Registration no., if any c) Authorization letter in favor of person filing the application, if applicable	
Part B		
1	Type of Project (Please select)	○ Feature Film ○ Web Series/Serial ○ TV Show/Serial ○ Documentary ○ Short Film ○ Other (Please specify)
2	Title of the Film/Project (Copy of the certificate issued by IMPA/WIFPA is to be attached)	
3	Brief Synopsis (min 500 words) – attach copy	
4	Language of the Film/Project	
5	Main Artist/s at shooting Location (Names only)	
6	Shooting Details (i.e. Department, Location, date etc.)	Give information on prescribed format as per Annexure A.

7	Is Drone Permission required		○ Yes ○ No
8	In case of shooting under Forest Area	Type of Forest area in which permission is required	○ Reserve Forest ○ National Park ○ Buffer zone ○ Sanctuary ○ Zoo
		Details of Area	
		whether any animal is part of shooting	○ Yes ○ No (If yes- enclose Animal details)
9	Is there any fire/blasting scene in the script		○ Yes ○ No (If yes- enclose details)
10	Is there any temporary structure to be created		○ Yes ○ No (If yes- enclose details)
11	Other Details such as Road Blocks required, set creation, special assistance etc.		
12	Details of Line Producer (If any) Name, Contact, E-mail, Postal Address		
13	Details/No. of Police convoy/security person need at the shooting site (shooting schedule wise indication)		
14	Contact details of person in charge who may be contacted by the official of MPTB		
15	Total Budget of the Film (in INR)		
16	In case of In-Film Branding or using any Assets/Name/Product of Tourism/State		
17	In case of International Film, Web Series and TV Serials shooting - Enclose shoot Permission Certificate issued by the MIB (Ministry of Information & Broadcasting)		
18	In case of International Documentary, AV Commercial and Music Videos shooting -Enclose shoot Permission Certificate issued by the MEA (Ministry of External Affairs)		
19	Other particular (if any)		

Name & Signature of Authorized Applicant Seal of Company

Annexure A: Format for Location Detail

Sr.	Name of Department/ Authority	Shooting schedule					Nature of Shoot – Crew/Public involvement	Please Specify the type of permission Required	Fee including GST		Payment reference number/ DD Number	Location Manager Details, If Any
		Location & Landmark	Start		End				Location Fee	Security deposit		
			Date	Time	Date	Time						
1												
2												
3												
4												
5												
Total Amount												

Undertaking

(on Letterhead of the company)

With reference to the application for grant of permission for shooting of films in Madhya Pradesh, I/We hereby give the following undertaking:

1. Shooting of the project shall be done on locations of Madhya Pradesh, after obtaining all requisite permissions, in accordance with the script, enclosed with the application form.
2. I/We note that in the case of assistance to be obtained from other Departments such as ASI, Railways, Civil Aviation etc. separate agreements as stipulated are required to be signed with them.
3. I/We shall shoot the film under intimation to Liaison Officer/Liaison agency/Nodal Officer wherever attached to the team by Film Facilitation Cell, Madhya Pradesh Tourism Board.
4. I/We accept that the shooting will be performed following all the rules & regulations of concerning departments.
5. I/We acknowledge that the mentioned location/s will not be portrayed in terms that it will defame the state/location.
6. I/We declare that I/We shall be personally held liable in case of any damage to public property during the shooting and liable for penalty in case of violation of any clause mentioned in the terms & Conditions of the department/authority. I/We further undertake to restore the property back to its original condition after the shooting and will be personally.
7. I/We declare that I/We have not concealed any information which will make me ineligible for getting permission for film shooting.
8. I agree to acknowledge Film Facilitation Cell, Madhya Pradesh Tourism Board along with its logo and Govt. of Madhya Pradesh in the credits of the film nationally and internationally.
9. I/We hereby declare that we have deposited full Location fees and security amount to the concerning department/authority as per Bank details provided separately.
10. I/We hereby declare that the information in this form is correct and true to my/our knowledge.

Name & Signature of Authorized
Person Place:
Place:
Date :

Seal:

List of Required Documents:

1. Letter of Production House/Authorization Letter from Production House
2. Registration Certificate of Production House
3. Title Registration Certificate issued by IMPA/WIFPA
4. Project Synopsis (min 500 words) in 2 copies
5. Location Detail as per Annexure 1
6. Payment fee receipt/ Demand Draft copies

Annexure 3

Letter of Acknowledgement

To,
Name
Address of the Production House
Subject: Letter of Acknowledgement for proposed .... (Name of Project)............

We welcome you and appreciate your intentions of shooting your upcoming project in Madhya Pradesh. This is to inform you that we have received a project proposal as per below mentioned details from your end. Our Film Facilitation Cell will support you in your project as per Madhya Pradesh Film Tourism Policy 2025. It is expected that your filming project will promote tourism for the state.

Particulars	**Details (as per annexure 1) given by applicant**
Type of Project/ language	
Releasing Platform	
Genre	
Length of film/video	
Title of Project	
Producer name	
Production house	
Total Shooting days of Project	
Shooting days in M.P.	
Shooting dates in M.P.	
Approximate budget of project	
Approximate Expenditure in M.P. during shooting	
Estimated M.P. based manpower utilisation	
Proposed Shooting location in MP	
Line Producer name & Contact details	
Contact details of Producer/ EP	Designation:
	Address:
	Email id:
	Mobile no:
Director & Main Cast names	
Synopsis (max 100 words)	As enclosed

Note:

(1) This is only an acknowledgement letter for submission of shooting project information.

(2) **This letter cannot be used as permission for shooting /recce and approval of any incentive under any scheme**.

(3) This LOA will be valid till 45 days from the Date of issue.

(4) Any Project with Maturty Rating ‘A’ shall not be eligible for any subsidy under the M.P Film policy 2025. (Rating as issued by CBFC or OTT Platform)

(5) In order to qualify for any incentives under the Madhya Pradesh Film Policy, the production house must submit a promotional reel featuring the main characters, showcasing the attractions of Madhya Pradesh tourism. Kindly ensure that this reel is included with your application as per the provided guidelines.

(Signature)
Authority
Madhya Pradesh Tourism Board, Bhopal

Annexure 4

Subsidy Application for

Feature Film/TV Serial/OTT Web Series/Original show/Documentary/Short films Additional Incentive Categories/ MP based Casting/Location Fee Reimbursement

(Under Madhya Pradesh Film Tourism Policy – 2025)

To,

The Chairman,
Film Facilitation Cell (FFC),
Madhya Pradesh Tourism Board (MPTB),
6th Floor, Lily Trade Wing, Jahangirabad Bhopal -462008

Sir/Madam,

I request you to sanction subsidy for my Project titled...released on .... (Theater /name of OTT platforms) as per Madhya Pradesh Film Tourism Policy - 2025. The Project has been shot for total……………..days in Madhya Pradesh out of total………………... shooting days,that is .... percent of total shooting days in Madhya Pradesh. The Total Cost of Production of complete project is Rs... (in words) ....as per Annexure "A" of Madhya Pradesh Film Tourism Policy – 2020/ 2025 The details of the Project are as follows: -

Part - A (Basic Information)

1. Name of Applicant/Producers…………………………………………………………………………………………………….

2. Name of Production house……………………………………………………………………………………………………….

3. Details of PAN/TAN /GSTIN ……………………………………………………………………………………………………

4. Address...

   Mobile No ……………………………………………………Landline No…………………………………………………………….

   Email ID: …… Website: ………

5. Name/Title of Project ……

6. Details of project (Select) –

a) Category:

- Indian
- International

b) Special Category – (any one of them)

- Children's Film
- Women Oriented Film
- Women Crew Led Crew Film
- Local & tribal language film
- Film on the achievements of renowned historical, cultural & religious figure from state .

c) Type of Project:

- Feature Film
- Web Series/ Original show
- TV Serial/Show
- Documentary
- Short Film

d) Language of the project:

- Hindi
- English
- Tamil
- Telugu
- Kannad
- Malyalam
- Bengali
- Marathi
- MP local language (Bagheli, Bundelkhandi, Malvi, Bhili, Gondi, Kannad etc.)
- Any Other (Specify)

e) Certification (enclose):

- Censor Board Certificate
- Cinema Release Certificate
- GEC Certificate along with the telecast schedule
- OTT Platform Release Certificate (OTT specified by FFC)

f) Number of screens (for theatrical release) .... (enclose proof like distributor certificate, agreement, theatre list)

g) Number of Episodes (for OTT series/TV serial) .... (enclose proof like OTT certificate, screen shot, any other relevant document)

h) Total Length of the Project (in minutes with credit list)

Film ...... Web series .... TV series ...... Documentary ..... Short Film.....

i) Award details (if any) as per list

7. Name & Details of Director, Writer/s, DOPs and Lead Actors of the project (details like Experience, Awards received and other, enclose details)
8. Registration certificate of Story/Script (please enclose)
9. Format of applied project (35 MM/16 MM/HD/3D/others) ....
10. Power of attorney for authorization (if required - enclose)
11. Total Number of shooting days (Enclose proof like Permission copies, payment receipts, bills etc.) (as per Annexure – 5)
12. Total Shooting days in Madhya Pradesh (Enclose Annexure 5)
13. Screen log sheet for MP Shooting places (enclose)
14. Details of Publicity & Marketing done during the shoot of project, that give extra advantage/visibility to the State:(Mandatory to enclose the details as per format given below) (Compulsory)

Sr.	Medium of Publicity (Print, Audio/Visual, OOH, Digital, Social media etc.)	Description	Enclose Supporting Docs& Digital Links

15. CA Certificate of COP (in INR) as per prescribed format of (Annexure 6).
16. Copy of the Script/screen play of the Project. (hindi/English) (enclose)
17. Screen log

Processing Fee:

The processing fee of Rs. 15,000/- + 2,700/- (GST@ 18%) = Rs. 17,700/- have been deposited to MPTB Bhopal through NEFT/DD ref. no…………………………………………..dated (Enclose document)

Bank Detail :

Name: Madhya Pradesh Tourism Board
Bank: HDFC
A/c type: Govt. Saving Account
Account No. 50100158647595
IFSC: HDFC0003662
MICR: 462240009,
Branch: New Market, TT Nagar, Bhopal.

Seal & Sign Applicant/Production House

Place :

Date :

Seal :

Part B: Project Specific Information

Application for Feature Film

1) Series of Film in MP (Please select) –
   - First
   - Second
   - Third
   - Forth & above

   (Please mention permission Film Name and duration shooting in MP)

2) Eligibility & claim for subsidy under clause 10.1.4(f) for regional Language Films-
   - Yes
   - no

   If Yes,

   - Please enclose the script in Hindi/English language of the film.
     Description in 200 words with screen time log, about how Madhya Pradesh is showing in the Film.
   - Screen time log for proof that more than 25% of total screen time given to MP

3) Eligibility & claim for subsidy as per Special clause 10.1.4(a) (for additional subsidy of Rs. 50 Lakh) of MP Film Policy 2025- Film in which Madhya Pradesh is prominently featured with more than 75 percent shooting days in the state through which tourism of the state gets direct benefit:
   - Yes
   - no

   If Yes,

   - Description of 200 words stating that How Tourism of the state will get direct benefit along with proof (in script/digital form along with the screen time log)

Application for Web Series/OTT

1) Release platform (select) –
   - Netflix
   - Amazon Prime
   - Jio Hotstar
   - Zee5
   - Sony Liv
2) Does the Web Series has Minimum 06 Episodes of minimum 20 minutes each or total 120 minutes. – Yes/No (enclose proof)
3) Age Rating of Web Series given by OTT platform –
   - 7+
   - 13+
   - 16+ UA
   - 18+
4) Please enclose the -
   - Script in Hindi/English language of the web series/project.
   - Description in 200 words with screen time log, about how Madhya Pradesh is showing in theweb series/project.
   - A final digital copy of web series/project for proof.

Application for Subsidy on Documentary

1) Category/Type of documentary: (Please select)
   - Tourism of the State
   - wildlife of the State
   - culture of the State
   - Tribe/ Localj People of the State
   - heritage/ history of the State
   - Others (Please Specify)
2) Please specify Release Channel (as per approved list of FFC):
   - Name of TV Channel - ………………
   - Name of OTT Platform - ………………..
   - Release date- ………………………
3) Level of Release (enclose details/documents)–
   - National
   - International

4) Awarded at ……………………………………. Film Festival (as listed by FFC)

5) Please enclose the -

- Description in 200 words about how Madhya Pradesh is showing in the documentary, in termsof tourism, culture, heritage etc. of the state.
- Detailed biodata, experience & recognitions of the documentary filmmaker.
- Enclosed Award Document- (Picture / Links).

Application for Subsidy on Short Film

1. Category/Type of Short Film: (Please select)

- Tourism of the State
- wildlife of the State
- culture of the State
- Food and handicraft of the State
- Religious Festival / Festival's of State
- Lifestyle Textile of the State
- Distinguished Individual of the State
- Tribe/ People of the State
- heritage/ history of the State
- Stories and Positive Social theme of the State
- Others (Please Specify)

2. Awarded at ……………………………………. Film Festival (as listed by FFC)

3. Please enclose the -

- Description in 200 words about how Madhya Pradesh is showing in the short films, in termsof tourism, culture, heritage etc. of the state.
- Detailed biodata, experience & recognitions of the short filmmaker.
- Enclosed Award Document- (Picture / Links).

Application for subsidy Local/MP based Artist hiring

1) Name & Details of Artists: (Enclose details)
2) Total number of artists in the project: ....
   a) Primary - ....
   b) Secondary - ....

3) Details of the Artists (Please enclose the details as per format given below)-

Category	**Name of Artists**	**Name of Character he/she playing**	**Document (please select & enclose)**	**Enclose Proof of fees payment (Artist Vise)**	**Enclose Agreement/ contract copy (Artist Vise)**
1. (Primary/ 2. Secondary Artist) 3. Directors 4. Choreographers 5. Cinematographars 6. Art Directors 7. Costume Designer 8. Sound Designer 9. Musician, etc			Domicile certificate/Birth Certificate/ Education Certificate (minimum 5 Years)/Aadhar Card/ Driving license		

4) Name and Detail of other Dept Personel.
   Line producer / Director / Editor / Writer)

Declaration *(On Letter Head)*

i. I/we..of M/s ………………..hereby undertake that all the facts and details/documents mentioned in the application are true to the best of my knowledge and belief. If any fact or detail is found incorrect/false, Film Facilitation Cell (FFC) will be free to recover all the amount sanctioned as subsidy with interest from me and also initiate legal proceedings as per the laws and regulations.

ii. I declare that this project (film/web series/TV Serial/Documentary) has been shot in Madhya Pradesh according to the Madhya Pradesh Film Policy - 2025 and it has not been produced by dubbing.

iii. I declare that we have mentioned the logo of MP Government and Madhya Pradesh Tourism Board at the starting of the Film/TV Serial/Web series/ Documentary with the statement of credit.

iv. I declare that I have full knowledge that the subsidy will be admissible to the

v. limit of the first print only.

vi. **I declare that the project does not contain any strictly mature subject which may be inappropriate for below 18 years audience for the reason of violence, nudity, sex, explicit language, defamation of the state, false claim etc.**

vii. I also declare and fully aware that the Film Facilitation Cell (FFC) will examine the matter of subsidy payable on my project and decide regarding granting/non-granting of subsidy on the basis whether the rules, directives and objectives as mentioned in the Madhya Pradesh Film Tourism Policy 2020 and rules- regulations of the policy. I will have no objection on the decision taken by Film Facilitation Cell and the decision taken by Film Facilitation Cell will be final and acceptable to me, on which I will not file any dispute in this regard on any other forum.

viii. I declare that I have full knowledge that the subsidy is given on the expenditure heads as given in Annexure A of Madhya Pradesh Film tourism Policy -2025 and the heads allowed by the FFC.

ix. I declare that I have not taken any subsidy from any other state government for the applied subsidy as per given information in the form.

x. I declare that no dues are pending from any vendor of Madhya Pradesh against any services taken.

Place:
Name of Applicant :
Date :
Official Seal & Signature of the Applicant

List of Required Documents with respect to the Subsidy Application Form:

Part "A"

1) Certificate of Incorporation of the Production House.
2) Power of Attorney for Authorization
3) Censor Certificate/Release Certificate/GEC Certificate/OTT Certificate/Telecast Schedule
4) Proof/certificate of Number of screens/Episodes
5) Detailed Biodata of Director, Writer/s, and Artist/s of the project.
6) Registration certificate of Story/Script.
7) Affidavit for total no. of shooting days of the project along with the relevant document (i.e. shoot permission copies, payment receipts, Daily Production Report, Shoot Call log Sheet etc.)
8) Copies of all Shoot Permission at government locations with payment fee receipt. Details of the shooting permission and shooting charges paid on government owned locations.
9) CA Certificate along with the total COP as per Annexure "A" of M.P. Film Tourism Policy -2025 (As per prescribed Annexure-5) and Statement of Expenditure.
10) Copy of the Script/Screen Play of the Project in Hindi/English in one copy
11) Final digital copy of the project along with Screen log of MP locations
12) Processing fee payment online receipt or non-refundable demand draft amounting INR 17,700/- (including 18% GST) in favour of "Madhya Pradesh Tourism Board" will have to be submitted to Film facilitation Cell (FFC) as processing fee.
13) Copy of GSTIN registration certificate & PAN
14) Vendor Registration Form (to be filled in Capital letters as per prescribed format)
15) Details of Credit to the State/ Tourism department and locations shown in the projects in digital format.

Part "B"

1) Description of 200 words, as required in Part B of the form.
2) Supporting documents of MP specific film
3) Local Manpower fee payment Receipt and agreement as per the format.
4) Proof of Local Manpower Hiring (Domicile Certificate/Birth Certificate/ Education Certificate of minimum 5 Years/Aadhar Card/Driving License)
5) Shoot permission copy & Payment receipts of shooting permissions at government locations of MP as per the format.
6) Any other document required in the subsidy application form.

Note:-

Make sure to provide copies of above mentioned documents with Seal & Sign by the Production House.

Annexure 5

"Self-Declaration for Shooting Period"

For the Film/Web series/TV show/documentary/short film ...., the production house/line Producer Company.., the responsible person.................................... Has carried out a total of .... shooting days at....................................... Locations. Out of the total shooting days, Days of shooting were conducted in Madhya Pradesh. The details are as follows:

Shooting Date	Shooting Location	District	Main Artists Included on the Shooting Day	Permission Authority	Shooting Permission Letter	GEO Location Photos

Enclosure: Shooting Call Log and all other related documents. For the project of production company .... titled ...., necessary government/non-government permissions has been obtained for all the locations of shooting. The above information is completely true and the full responsibility lies with the undersigned and the production company.. In case the information is found to be unverified or false, the undersigned/production company will be fully liable, and appropriate action will be taken in accordance with the policy/rules.

Date:
Place:
(Signature)
Producer/Applicant
Production Company

(Please note that the above information must be notarized on a 100/- rupees stamp paper before submission.)